भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

दस रुपये TEN RUPEES

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर, उज्जैन केम्प उज्जैन (म.प्र.)

R. 4281-II/14

प्रकरण क्र. /

ब्रजराजसिंह उर्फ ब्रजमोहनसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत निवास सारसी तह. सुसनेर जिला शाजापुर

............आवेदक / निगरानीकर्ता

15-12-14

प्रार्थी अभिभाषक श्री एम.एस. राजपूत
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 21-11-14

विरूद्ध

1) सरे कुंवर पुत्री दुलेसिंह, निवासी– डावल तह. झालरापटल जिला झालावाड़ (राजस्थान)

2) बलवंत कुंवर पुत्री दुलेसिंह, जाति राजपूत निवासी– सागरिया तहसील भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज.)

............अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सुसनेर जिला शाजापुर प्रकरण क्र. 28/अपील/2013–14 आदेश दिनांक 02–09–2014 से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सुसनेर जिला शाजापुर के न्यायालय में प्रकरण क्र. 28/अपील/2013–14 विचारीत है जिसमें प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 10–06–2014 को प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थी द्वारा आवश्यक पक्षकार नही बनाये जाने के कारण अपील निरस्त करने का निवेदन माननीय न्यायालय से किया था जिस पर दिनांक 02–09–2014 को माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र को स्वीकार करा परन्तु प्रार्थी द्वारा अपील निरस्त करने का निवेदन किया था उसे स्वीकार न करते हुए अपील अन्तिम तर्क हेतु आगामी पेशी नियत कर दी गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में अपील निरस्त करने का निवेदन करा था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील निरस्त नही करने में वैधानिक

निरन्तर....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4281–दो/2014 जिला शाजापुर

ब्रजराजसिंह विरूद्ध सरे कुंवर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 28/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 02–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ याचिका के अनुसार संक्षिप्त विवरण एवं तर्क इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 की ओर अपील पेश की गई थी। मृतक दुलेसिंह की विधिक वारिसान बलवंत कुंवर को पक्षकार नहीं बनाया गया था। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 2–9–2014 को बलवंतकुवर को पक्षकार बनाने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यइ निगरानी पेश की है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के साथ संलग्न आदेश पत्रिकाओं की सत्यप्रतिलिपियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने मृतक दुलेसिंह की पुत्री विधिक वारिस बलवंतकुवर को पक्षकार बनाने के आदेश दिये हैं। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश कर प्रकरण पक्षकारों के उपसंयोजन के कारण प्रकरण निरस्त करने का अनुरोध किया था। अनुविभागीय अधिकारी ने आवश्यक हितबद्ध पक्षकार को रिकार्ड पर लेकर पक्षकार बनाने के आदेश	

देने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकार बनाने के आदेश दिये और प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है परन्तु बलवंतकुवर को सूचना देने के आदेश नहीं किये हैं। चूंकि बलवंतकुवर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है अतः उसे सूचना देकर पक्ष समर्थन का अवसर देना भी आवश्यक है। अतः बलवंतकुवर को सूचना जारी की जाये तत्पश्चात सभी पक्षकारों सुनवाई का अवसर देने के उपरांत गुण–दोष पर निराकरण किया जाये। प्रकरण निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है। प्रकदरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य